न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.
अपील संख्या –2/2020
अपीलान्ट :–

1 रमझु पत्नि श्री सुखराम
2 भवंरी पत्नि श्री सोनाराम
3 जडाव पत्नि श्री मेमराज
जाति विश्नोई निवासी सिरमण्डी
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: बनाम :–

रेस्पोडेन्टसः–

1 प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि.रावतबेरा
ग्राम रावतबेरा पंचायत समिति औसिया
तहसील औसिया जिला जोधपुर
2 सरपंच , ग्राम पंचायत सिरमण्डी
पंचायत समिति औसिया जिला जोधपुर ।
3 केवलराम पुत्र श्री जोधाराम फौत जिनके कायम मुकाम
3–(1) सन्तोष पुत्र केवलराम
3–(2) मनीश पुत्र श्री केवलराम
3–(3) समदा पत्नि श्री कवेलराम
4 ओमाराम पुत्र श्री जोधाराम
5 मानाराम पुत्र श्री कोलाराम
जाति विश्नोई निवासी सिरमण्डी
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

उपस्थिति –
1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।
2 श्री रेपेडेन्ट की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थिति नही ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट. 1956 (नामान्तरकरण संख्या 173)

– निर्णय – **दिंनाक – 1.12.2020**

1 इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिरमण्डी की सरहद मे खसरा नम्बर 3221 रकबा 22 बीघा 10 बीस्वा मे से 1/2 हिस्से की भूमि अपीलान्ट की खरीद सुदा व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है जिसमे से अपीलान्ट ने अपने 1/2 हिस्से मे से 5/8 हिस्सा यानि सम्पूर्ण का 5/16 हिस्सा जिसका प्रभावित रकबा 7 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिंनाक 12.8.2010 को बगसीस की थी । तत्कालीन हल्का पटवारी ने

सहायक कलेक्टर, औसिया

Scanned with CamScanner

अपीलाधीन नामान्तकरण भरते समय उसके कॉलम संख्या 9 मे अपीलान्ट का नाम पूर्ण रूप से हटा दिया जब कि अपीलान्ट ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा नही बेचा था इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ अपीलान्ट का नाम भी पुनः कॉलम संख्या 9 मे दर्ज करने चाहिये थे । जो हल्का पटवारी की भूल थी तथा ग्राम पंचायत ने भी अपीलाधीन नामान्तकरण की बिना जांच किये व मौके के कब्जे काश्त की बिना जांच किये गलत तरीके से स्वीकार किया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी । अभी हाल ही मे दिंनाक 22.7.2020 को अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर सर्व प्रथम ज्ञात हुआ अपीलाधीन म्यूटेशन दर्ज करते समय बगसीस नामा के अनुसार दर्ज नही करके अपीलान्ट के हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी जो गलत व अनुचित है । जिससे व्यथित होकर यह अपील रेस्पोडेन्ट के खिलाफ पेश की है।

अपीलान्ट ने उक्त अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया कि दिंनाक 27.07.2020 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई । इससे पूर्व अपीलान्ट कों उक्त नामान्तकरण की जानकारी नही होना बताया ।

अपीलान्ट की उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरीये समन तलब किया गया । सभी रेस्पोडेन्ट बाद तामील हाजिर आये तथा अपील स्वीकार करने मे अपनी अनापति जाहिर की ।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी । अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने अपील मिमो के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधान व संचिका अभिलेख तथ्यो के विरुद्ध और न्याय के विपरीत कानूनन व इन्साफन गलत होने के कारण काबिल मन्सूख किये जाने योग्य है । अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिश देकर सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही कब्जे की जांच की गई, और सरपंच ने अपनी मन मर्जी से अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया है जो काबिल निरस्ती के है। अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि की बगसीस नामा नही करके 5/16 हिस्से की ही बगसीस की थी जिससे अपीलान्ट के हिस्से मे 3/16 हिस्से की भूमि शेष रहती है । बगसीस नामा की लिखत को अनदेखी करते हुए अपीलान्ट के सम्पूर्ण हिस्से की बगसीस मान कर अपीलान्ट का नाम हटा दिया जब कि अपीलान्ट की 3/16 हिस्से की खातेदारी भूमि है इस प्रकार से अपीलाधीन म्यूटेशन से अपीलान्ट का हक हिस्सा प्रभावित होता है जो गलत, अनुचित है । अपीलान्ट के 1/2 हिस्से मे से सम्पूर्ण खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज की है जब कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे अपीलान्ट द्वारा अपने 1/2 हिस्से मे से 5/8 हिस्से की भूमि की बगसीस की है इसलिए अपीलान्ट के 3/16 हिस्से की भूमि खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी जिससे उक्त म्यूटेशन अपीलान्ट के खिलाफ शुन्य प्रभावी है । बगसीस नामा की अनदेखी करके

Scanned with CamScanner

नामान्तकरण को स्वीकार किया है जो खारीज करने योग्य है । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन की सर्व प्रथम जानकारी हल्का पटवारी से अपीलाधीन भूमि की जमाबन्दी की नकल दिंनाक 22.07.2020 को लेने पर हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नही थी। अपीलाधीन म्यूटेशन की नकल प्राप्त करने व जानकारी होने की तिथी से अन्दर मयाद अपील प्रस्तुत किया है ।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । रेस्पोडेन्ट ने अपील स्वीकार करने मे अपनी अनापति दी है इसलिए उक्त अपील स्वीकार की जाकर आदेश नामान्तकरण संख्या 173 खारिज किया जाकर तहसीलदार औसिया को रिमाण्ड किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि बगसीसनामा के अनुसार जांच की जाकर नये सीरे से म्यूटेशन दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर की जावे।

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी औसिया

निर्णय आज दिंनाक 01.12.2020 को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ,ओसियां

Scanned with CamScanner